

मध्य प्रदेश शासन  
वन विभाग  
गंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 30-12-2006

कमांक एफ 3-51/2006/10-1, राज्य शासन द्वारा श्री राम भिलाष पाण्डेय उप वन क्षेत्रपाल को वनक्षेत्रपाल के पद पर वेतनमान रूपये 5500-175-9000 में, न्यायालयीन निर्णयों के अधीन पदोन्नत करते हुए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक वन क्षेत्रपाल / परिक्षेत्र अधिकारी विशेष कर्तव्य के पद पर तत्काल प्रभाव से रीवा वृत्त में पदस्थ किया जाता है।

2/ मध्यप्रदेश लोकसेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोटर के अनुरार पदोन्नति की प्रविधियां रोटर पंजी में कर दी गई हैं।

3/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोकसेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (कमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोकरोपा (पदोन्नति) नियम 2002 के उपबंधों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा(1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

4/ उपरोक्त अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच / लोकायुक्त / आर्थिक अपराध अन्वेषण संक्षेपी प्रकरण चर्तगान में प्रचलित हो तो पदोन्नति आदेश प्रदाय नहीं किया जाये एवं रिथति की सूचना तत्काल शासन को दी जावे।

(प्रमुख सचिव द्वारा अनुमोदित)

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुरार

*R C 85*  
अक्टूबर 2006  
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

कमांक एफ 3-51/2006/10-1  
प्रतिलिपि:-

- प्रधान गुरुत्व वन रांगक गव्य प्रदेश भोपाल, गृ0300 क. 641 दि 27 9 2005 के संदर्भ में।

भोपाल, दिनांक 30-12-2006

2. मा० वन मंत्रीजी / मा० राज्य मंत्रीजी, वन विभाग मध्य प्रदेश शासन।
  3. सचिव, मध्य प्रदेश लोक रोवा आयोग, इन्दौर।
  4. वन संरक्षक, वन वृत्त रीवा मध्य प्रदेश।
  5. वन गण्डलाधिकारी रीधी, रीवा वृत्त, मध्य प्रदेश।
  6. श्री एस.के. पाण्डेय द्वारा:— अ.प्र.मु.व.सं. (प्रशा / अराज) मध्य प्रदेश गोपाल।
  7. स्टाक फाईल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

*RCV*  
अवर सचिव ३०.१२.०६  
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग